

मजदूर – किसान संघर्ष रैली

सीटू-अखिल भारतीय किसान सभा-अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन

5 सितम्बर 2018

संसद के समक्ष

क्या मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक के प्रस्ताव दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं?

केंद्र में भाजपानीत सरकार अपने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, जो कि पहले ही लोकसभा में पारित हो चुका है, के लिए आम जनता का समर्थन माँगने वाले विज्ञापनों पर सैकड़ों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। अभी यह विधेयक राज्यसभा में लम्बित है।

सरकार के मुताबिक, हमारे देश में करीब 150000 लोग हर साल सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। कितने ही लोग चोट और संबंधित विकलांगताओं से पीड़ित होते हैं। स्वाभाविक रूप से यह हम सभी के लिए गंभीर चिंता का विषय है। हम सभी सहमत हैं कि सड़क दुर्घटनाओं की संख्या कम करने और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपाय आवश्यक हैं।

पर कैसे? सरकार द्वारा वास्तव में लोगों की सुरक्षा से संबंधित कदम क्या हैं? क्या मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक के प्रस्तावों में ऐसे उपाय शामिल हैं? बिल वास्तव में किसको लाभान्वित करेगा?

चलिये जांचते हैं।

मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक में लगभग 80% मामलों में दुर्घटनाओं के लिए मुख्य रूप से ड्राइवर पर जिम्मेदारी डालता है। यह बिल्कुल गलत और अत्यधिक भ्रामक है। एक अध्ययन में, आईआईटी, दिल्ली के प्रोफेसर गीतम तिवारी ने साबित किया है कि ड्राइवरों की गलती के कारण केवल 10% दुर्घटनाएं होती हैं। सरकार यह सुझाव देती है कि ड्राइवर अपने कामकाजी दिन की शुरुआत सड़क पर लोगों को कुचलने के इरादे के साथ करते हैं। कोई ड्राइवर, चाहे वह अपनी कार चला रहा हो या गाड़ी चलाने के लिये उसे रखा गया हो, कभी दुर्घटना नहीं करना चाहता है, क्योंकि इससे न केवल वह अपने जीवन को जोखिम में डालेगा, बल्कि इससे उसके परिवार के सदस्यों के जीवन यापन, उसके बच्चों का भविष्य भी दाँव पर लग जाएगा। आमतौर पर यह देखा जाता है कि लगभग सभी ड्राइवर अपने वाहन स्टार्ट करने/आगे बढ़ने से पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। यह एक आम अनुभव है कि ड्राइवर सड़क पार करने वाले जानवरों और पक्षियों तक को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं।

ऐसे कई कारक हैं जो सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण हैं – सड़कों को बनाने की योजना और निर्माण में दोष, एक ही लेन से सभी प्रकार के वाहनों का गुजरना, सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता की कमी आदि।

इसके अलावा, नवउदारवादी शासन के तहत, सरकारें सार्वजनिक परिवहन को कम करने और राज्य सड़क परिवहन निगमों को बन्द करने की कोशिश कर रही हैं। ऑटोमोबाइल निर्माताओं, विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय

कम्पनियों के लाभ के लिए लोगो को व्यक्तिगत कारों का मालिक बनाने के लिये बैंक ऋण आदि को आक्रामक रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। जबकि प्रभावी सार्वजनिक परिवहन की कमी कुछ लोगों को निजी वाहन मालिक बनने के लिए मजबूर कर रही है, नव समृद्ध लोगों का एक वर्ग हाई स्पीड व्यक्तिगत कारों को खरीद रहा है। नतीजतन, सड़कों की स्थितियों में कोई समुचित योजना और सुधार नहीं होने के बावजूद कारों की संख्या में वृद्धि हुई है।

राज्य परिवहन या निजी यात्री बसों के ड्राइवरों, ट्रक चालकों या फिर अपनी कार चलाते निजी व्यक्तियों पर तनाव और कई गुना बढ़ गए हैं। अधिकांश ड्राइवरों को, विशेष रूप से निजी यात्री बसों और ट्रक चालकों को लंबे समय तक, अक्सर दिन में 10-12 घंटे, काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। उनके पास न तो वाहनों को रखने और न ही आराम करने के लिए कोई उचित सुविधाएं हैं।

अगर सरकार सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए वास्तव में गंभीर है, तो ये समस्याएं हैं जिन्हें उचित प्राथमिकता के साथ हल करने की आवश्यकता है। अकेले ड्राइवरों को जिम्मेदार ठहराते हुए और उन पर दंड और जुर्माना लगाकर सड़क दुर्घटनाओं को कम नहीं किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप केवल भ्रष्टाचार ही बढ़ेगा। इसके अलावा, जब भी आवश्यक हो, दंड और जुर्माना लगाए जाने का उद्देश्य अपराधी को उसकी गलती का एहसास कराना, उसे फिर से न दोहराना, होना चाहिए।

लेकिन मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक विभिन्न दंडनीय उपायों का प्रस्ताव करता है जिसमें विभिन्न उल्लंघनों के लिए हजारों रुपये के लिए भारी जुर्माना, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करना, जेल आदि शामिल हैं। लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने और उनके व्यवहार और प्रथाओं को सही करने में मदद करने पर जोर नहीं है। इसके बजाए, यह विधेयक लोगों को अपराधियों के रूप में पेश कर उन्हें दंडित करना चाहता है। उदाहरण के लिए, हेलमेट के बगैर गाड़ी चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना और तीन महीने के लिए लाइसेंस निलंबन होगा; सीट बेल्ट पहने बगैर गाड़ी चलाने पर 1000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा; अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाए जाने वाले पर पहली बार 1000 रुपये और अगली बार 2000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। यह ऐसे उल्लंघन हैं जिन्हें लोगों के बीच जागरूकता पैदा करके निश्चित रूप से कम किया जा सकता है, क्योंकि ये लोगों की अपनी सुरक्षा से संबंधित हैं। लेकिन ऐसा करने के बजाय, सरकार उन्हें दंडित करने का विकल्प चुन रही है। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा इन दंडों को 10 गुना बढ़ाया जा सकता है।

वर्तमान में, वाहन का मालिक आवश्यक मरम्मत करने के बाद, फिटनेस का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सीधे क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) के पास वाहन ले जा सकता है। मोटर वाहन विधेयक में प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, मालिक को पहले प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसी में जाना होगा। केवल तभी आरटीओ वाहन का फिटनेस प्रमाणित कर सकता है। यह न केवल वाहन मालिक पर अतिरिक्त बोझ होगा बल्कि ट्रांसपोर्ट विभाग के हजारों कर्मचारियों को अतिरिक्त घोषित होने के खतरे का सामना करना पड़ेगा।

मरम्मत की लागत भी आसमान को छूने के लिए बाध्य है। वर्तमान में, अधिकांश ऑटोमोबाइल स्पेयर छोटे और मध्यम उद्यमों द्वारा निर्मित होते हैं। इन्हें आमतौर पर पसंद किया जाता है क्योंकि वे सस्ते होते हैं, और ब्रांडेड जितने ही अच्छे होते हैं। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार केवल सरकार द्वारा अनुमोदित कम्पनियों के ब्रांडेड स्पेयर पार्ट्स का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके चलते व्यावहारिक रूप से बड़े कॉर्पोरेट द्वारा ही यह तय किया जाएगा कि निर्मित मात्रा और मूल्य क्या हो। वाहन मालिकों को तो

कीमत चुकाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। छोटे और मध्यम उद्यमों को या तो बड़ी कम्पनियों के लिए उत्पादन करना होगा या अपनी दुकान बंद करनी होगी। लाखों मजदूरों पर अपनी नौकरियों को खोने का खतरा होगा। इसके चलते होने वाली बेरोजगारी में भारी वृद्धि का उपयोग बड़े कॉरपोरेट अत्यधिक कुशल बेरोजगार युवाओं को कम मजदूरी पर रोजगार देने के लिए भी करेंगे। ब्रांडेड कम्पनियों के स्पेयर पार्ट्स को केवल कम्पनी शोरूम में ही रखा जाएगा। सभी प्रकार के वाहनों को सर्विसिंग या मरम्मत के लिए अधिकृत शोरूम में ही देना होगा। स्पेयर पार्ट शो रूम बंद हो जाएंगे और सड़क के किनारे काम करने वाले मैकेनिकों को भी अपनी कमाई खो देनी होगी।

बीमा प्रीमियम का बोझ भी बढ़ने के लिये तैयार है। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) हर साल बीमा प्रीमियम बढ़ा रहा है। पिछले 4 वर्षों के दौरान, प्रीमियम दोगुनी हो गई है। लेकिन आईआरडीए प्रीमियम के रूप में एकत्र की गई राशि और मुआवजे के रूप में भुगतान की गई राशि का विवरण नहीं बताता है। मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक ने आकस्मिक मौत के मामले में मुआवजे पर 5 लाख रुपये की एक सीमा लगाई है। यदि पीड़ित का परिवार इसे अंतरिम राहत के रूप में स्वीकार करता है तो वे बेहतर मुआवजा पाने के लिए मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (मोटर अदालत) से संपर्क नहीं कर सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ मोटर अदालत ने जो मुआवजा दिया है वो इस राशि से कई गुना ज्यादा था। अब इस मुआवजे को अंतरिम राहत के रूप में स्वीकार करने के बाद पीड़ित मोटर अदालत से संपर्क नहीं कर पाएंगे।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि नवउदारवादी नीतियों के प्रति प्रतिबद्ध, भाजपानीत मोदी सरकार के मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम का वास्तविक इरादा, देशी-विदेशी दोनों प्रकार की ऑटोमोबाइल निर्माण कम्पनियों और बीमा कम्पनियों को लाभान्वित करना है। सड़क सुरक्षा की आड़ में यही पेश किया जा रहा है।

सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए वास्तव में क्या करने की जरूरत है?

ऑल इण्डिया रोड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन (एआईआरटीडब्ल्यूएफ), जो सड़क परिवहन मजदूरों के सभी हिस्सों को संगठित करता है, ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए ठोस सुझाव दिए हैं। इनमें शामिल हैं:

- सड़क निर्माण में दोषों को सुधारें
- राज्य परिवहन इकाइयों को सुदृढ़ बनाएँ; सड़कों पर वाहनों की संख्या को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग आदि को प्रोत्साहित करें
- व्यक्तिगत परिवहन को हतोत्साहित करें
- शुरुआत के लिए, राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेसवे पर भारी वाहनों और अन्य वाहनों के लिए अलग-अलग लेन आवंटित करें
- प्रमुख रूप से साइन बोर्ड और संकेतक स्थापित करें, खासकर राजमार्गों पर यू मोड़ के लिए प्रावधान हो
- सभी ट्रैफिक सिग्नलों पर समय की उलटी गिनती के साथ सिग्नल व्यवस्था अद्यतन करें
- सभी जंक्शनों/क्रॉसिंग पर सड़क पार करने के लिए पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित मार्ग बनाएँ
- केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों के कक्षा 5 से स्कूल पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा और यातायात नियम शामिल करें
- यात्री बसों और ट्रकों के चालकों के लिए काम के घंटे का निर्धारण करें
- सभी राजमार्गों पर प्रत्येक 100 किलोमीटर की न्यूनतम दूरी पर पार्किंग के साथ होटल/मोटेल्, ईंधन भरने, भोजनालय आदि का प्रावधान किया जाए।

सड़क परिवहन कर्मचारी मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक के इन खतरनाक प्रस्तावों के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो लागू होने पर, न केवल ड्राइवरों पर बल्कि सामान्य नागरिकों पर भी भारी बोझ डालेंगे। वे ठोस वैकल्पिक प्रस्ताव बनाकर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लड़ रहे हैं। अपने संयुक्त मंच के बैनर के

तहत सड़क परिवहन मजदूरों ने मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक के खिलाफ 7 अगस्त को देशव्यापी हड़ताल का आवाहन किया है।

लेकिन, आम लोगों और मेहनतकशों के सभी वर्गों पर इस विधेयक के प्रभाव को देखते हुए, उन सभी तबकों के समर्थन के साथ संघर्ष को व्यापक और मजबूत करना आवश्यक है, जो इसे लागू होने से प्रभावित होंगे। न केवल मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक के खिलाफ बल्कि मेहनतकश-विरोधी, जन-विरोधी और राष्ट्र-विरोधी नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ संघर्ष को मजबूत करना जरूरी है। यह विधेयक तो उसका एक हिस्सा है।

5 सितंबर 2018 की 'मजदूर किसान संघर्ष रैली' सड़क परिवहन मजदूरों, ड्राइवरों और अन्य मेहनतकशों पर बोझ डालते हुए कुछ ऑटोमोबाइल निर्माताओं और बीमा कम्पनियों के लाभ के लिए थोपी जा रही नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ है। यह रैली इस विधेयक की वापसी और इन नीतियों के पलटने की मांग करने के लिये है।

एकजुट हों! संघर्ष करो!